न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः सी. आर. देवासी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 134 / 2023 अपील (GCMS 2023/137)
पंजीयन दिनांक– 11.09.2023
निर्णय दिनांक– 07.04.2025

1. श्री भंवरलाल पिता देवा कुमावत, निवासी हाथीनाडा कांकरोली, तहसील व जिला राजसमंद।

–अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, राजसमंद, तहसील व जिला राजसमंद।
2. आयुक्त, नगर परिषद, राजसमंद, तहसील व जिला राजसमंद।
3. श्री भेरूलाल पिता देवा कुमावत, निवासी हाथीनाडा कांकरोली, तहसील व जिला राजसमंद।
4. श्री मगनलाल पिता देवा कुमावत, निवासी हाथीनाडा कांकरोली, तहसील व जिला राजसमंद।
5. लालीबाई पिता देवा देवा कुमावत, निवासी हाथीनाडा कांकरोली, तहसील व जिला राजसमंद।
6. श्री मुकेश पिता रमेशचन्द्र शर्मा, निवासी कांकरोली, तहसील व जिला राजसमंद।
7. श्री गणेशलाल पिता छोगालाल कुमावत, निवासी हाथीनाडा कांकरोली, तहसील व जिला राजसमंद।
8. श्री प्रकाशचन्द्र पिता किशनलाल कुमावत, निवासी हाथीनाडा कांकरोली, तहसील व जिला राजसमंद।
9. निर्मला पिता किशनलाल कुमावत, निवासी कांकरोली, तहसील व जिला राजसमंद।

10. श्री मदनलाल पिता मोहनलाल पगारिया, निवासी भीलवाडा रोड़, छतरियों के सामने, कांकरोली, तहसील व जिलरा राजसमंद।
11. श्री कमलेश पिता शंकरलाल कुमावत, निवासी कांकरोली, तहसील व जिला राजसमंद।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1.	श्री कमलेश चौहान	– अधिवक्ता अपीलांट
2.	श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक	– अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
3.	सुश्री प्रमोदीनी बक्षी	– अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2 **(बवक्त बहस अनुपस्थित)**
4.	श्री प्रकाशचन्द्र टांक	– अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3 से 5 व 7 से 9
5.	श्री प्रकाशचन्द्र पालीवाल	– अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 6, 10

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध तहसीलदार, राजसमंद के
नामांतरकरण संख्या 1928 निर्णय दिनांक 19.03.2014

निर्णय

दिनांक 07.04.2025

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत तहसीलदार, राजसमंद, जिला राजसमंद के नामांतरकरण संख्या 1928 निर्णय दिनांक 19.03.2014 के विरूद्ध दिनांक 15.01.2019 को मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश 41 नियम 5 जाप्ता दीवानी के साथ न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर को पेश की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 1485 दिनांक 06.09.2023 के क्रम में जिला राजसमंद का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 11.09.2023 को इस न्यायालय में दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 3 से 11 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमियां राजस्व ग्राम कांकरोली की आराजी संख्या 651 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, आराजी संख्या 652 रकबा 2 बिस्वा, आराजी संख्या 653 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा व आराजी संख्या 654 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा भूमि स्थित है। जिसका पिछले 50 वर्षो से सभी ने आपसी सहमती से मौके पर विभाजन कर रखा है और उसी अनुसार भूमि पर काबिज होकर उसका उपयोग–उपभोग कर रहे है। रेस्पोडेंट संख्या 3 से 11 द्वारा उक्त विवादग्रस्त भूमि का आपसी सहमति से विभागजन बता कर इसका नामांतरकण दिनांक 19.03.2014 को निर्णित कर दिया, जबकि अपीलांट द्वारा अपनी भूमि का विभाजन नहीं कराया है और न ही इस बाबत सहमति दी है। उक्त समस्त कार्यवाही अपीलांट की गैर मौजूदगी में की जाने से दुखी व असंतुष्ट होने से अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता सुश्री प्रमोदीनी बक्षी बवक्त बहस अनुपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 3 से 5 व 7 से 9 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाशचन्द्र टांक उपस्थित एवं रेस्पोडेंट संख्या 6 व 10 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाशचन्द्र पालीवाल उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 03.04.2025 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का सही रूप से अवलोकन नही किया तथा इस तथ्य पर भी मनन विचार नहीं किया है कि अपीलांट व उसकी पुत्री व पत्नि ने उक्त

भूमि के संबंध में न्यायालय सहायक कलक्टर, राजसमंद में वाद प्रस्तुत कर रखा है, जो बअनवान नानी बनाम भंवरलाल विचाराधीन है। वाद के विचाराधीन होते हुए भी आलौच्य नामांतरकरण सहमति विभाजन के आधार पर स्वीकृत किया गया जो विधि विपरीत है। उक्त विवादग्रस्त भूमि के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश भी जारी कर रखा है। उक्त प्रकरण में विभाजन भी राजस्व अधिकारियों द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 3 से 11 के मध्य मनमकसूद तरीके से किया गया है। विभाजन में आराजी संख्या 652 को शामिल कर दिया गया है, जबकि उक्त आराजी नम्बर आचाह होकर कुआं है, जिसका विभाजन किया जाना संभव नहीं है। वादग्रस्त भूमि में अपीलांट का 1/9 हिस्सा निहित है और कुंए के आचाह नम्बर का हिस्सा छोडने के उपरांत अपीलांट के हिस्से 4 बीघा 19 बिस्वा भूमि में 11 बिस्वा भूमि प्राप्त होती है, लेकिन विभाजन में अपीलांट को 11 बिस्वा भूमि प्रदान ही नहीं की गई है। उक्त भूमि के विभाजन के बाद रेस्पोडेंट संख्या 2 से 11 इस भूमि को अपने–अपने हिसाब से पुनः विभाजन करने एवं भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग करने के लिये भी कार्यवाही कर रहे है। अपीलांट को उक्त नामांतकरण की जानकारी कभी नहीं रही है। उसकी सहमति स्वीकृति के बगैर उसकी बेजानकारी में फर्जी रूप से अपीलांट के हस्ताक्षर कर उक्त विभाजन कराया गया है। अपीलांट व उसकी पुत्री के मध्य विवाद इस भूमि को लेकर चल रहा था व अन्य भूमि के संबंध में जो विवाद था उसका नाजायज फायदा उठाते हुए अपीलांट को धोखे में रखकर यह विभाजन कराया है। अतः उक्तानुसार अपील अपीलांट् स्वीकार करने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ तहसीलदार, राजसमंद, जिला राजसमंद द्वारा दिनांक 19.03.2014 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

रेस्पोडेंट संख्या 2 बवक्त बहस अनुपस्थित रहें। लिखित बहस भी उपरोक्तानुसार पेश नहीं की है।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3 से 5 व 7 से 9 ने अपनी लिखित बहस पेश कर बताया विवादग्रस्त भूमि का आपसी विभाजन अपीलांट व अन्य सहखातेदारों की आपसी सहमति व स्वीकृति से किया जाकर नामांतरकरण संख्या 1928 दिनांक 19.03.2014 को स्वीकृत किया गया है। उक्त अपील का श्रवणाधिकारी एवं क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नही है। उक्त नामांतरकरण धारा 135 (1) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के आधार पर स्वीकृत किया गया, ऐसी स्थिति में प्रथम अपील अंतर्गत धारा 75 (d) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत जिला कलक्टर, को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। नामांतरकरण दिनांक 19.03.2014 की अपील आप न्यायालय में माह जनवरी, 2019 को 5 वर्ष की देरी से प्रस्तुत की गई है तथा उक्त नामांतरकरण की जानकरी अपीलांट को नामांतरकरण स्वीकृति की दिनांक से ही है, क्योंकि अपीलांट व अन्य खातेदारों द्वारा कार्यालय नगर नियोजक, उदयपुर के यहां विभाजन के पश्चात् आबादी में परिवर्तन करने हेतु उसका ले–आउट स्वीकृत करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर दिनांक 12.06.2015 को ले–आउट प्लान स्वीकृत किया गया। अपील में वर्णित आराजीयात का विभाजन अपीलांट व रेस्पोडेंट्स के मध्य आपसी सहमति से होकर तहसीलदार के समक्ष पेश किया उसी अनुरूप विभाजन किया गया, जो आज भी प्रभावित है। उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में अपीलांट की पत्नि एवं पुत्री द्वारा राजस्व वाद संख्या 121/2012 प्रस्तुत किया जो दिनांक 17.11.2015 को अदम पैरवी में खारिज किया गया एवं एक अन्य राजस्व वाद 273/2013 दिनांक 01.10.2013 को प्रस्तुत किया, जो दिनांक 21.02.2014 को अदम पैरवी में खारिज किया गया तथा दिनांक 15.04.2014 पुनः दावे को बिना प्रतिवादी को नोटिस जारी किये रेस्टोर कर दिया गया, जिसके नये वाद संख्या 40/2014 से दर्ज कर उक्त वाद भी दिनांक 17.01.2020 को वादीगण केएवं

प्रतिवादीगण के अधिवक्तागण ने उपस्थित होकर पत्रावली में आगे कोई कार्यवाही नही चाहने से वाद को खारिज करवा दिया। इस प्रकार स्पष्ट है। कि उक्त दोनो वाद स्वयं भवरलाल ने पत्नि एवं पुत्री से दर्भिसंधी कर जानबुझ कर प्रस्तुत करवाये गये थे। अतः उक्तानुसार अपील अपीलांट् खारिज की जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 6 व 10 ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, राजसमंद में राजस्व वाद विचाराधीन रहते हुए अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमंद को अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 3 से 11 में मध्य आपसी सहमति के विभाजन का नामांतरकरण स्वीकर नही करना चाहिए था। अतः अपील में वर्णित तथ्यों/गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण में सुस्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.03.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 15.01.2019 को प्रस्तुत की है एवं इसके लिए दफा 5 मयाद अधिनियम का आवेदन पेश किया गया। अपीलांट द्वारा किये गये कथनों, रेकड, अखण्डित शपथ एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अब हम प्रकरण में अपीलांट द्वारा लिये गये अपील उजरात के आधार पर निर्णय पारित करना उचित समझते हैं।

अपीलांट का प्रथम उज्र यह है कि अपीलांट व उसकी पुत्री एवं पत्नि के मध्य उक्त भूमि के संबंध में न्यायालय सहायक कलक्टर, राजसमंद में वाद विचाराधीन होते हुए भी उक्त विवादग्रस्त नामांतरकरण स्वीकृत कर दिया।

अपीलांट का यह उज्र मान्य नहीं है क्योंकि अपीलांट द्वारा सहायक कलक्टर, राजसमंद के न्यायालय में प्रस्तुत वाद प्रकरण

संख्या 273/2013 वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88–92 ए. राजस्थान टिनेंसी एक्ट अनवान श्रीमती नानूबाई पत्नि भंवरलाल कुमावत व अन्य बनाम श्री भंवरलाल पिता देवा कुमावत व अन्य, प्रकरण संख्या 361/2013 प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेंसी एक्ट सपठित आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 एवं प्रकरण संख्या 121/2012 वाद–घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा 88, 92 राजस्थान टिनेंसी एक्ट के प्रकरणों का अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि उक्त प्रकरण अदम पैरवी/अदम हाजरी में तथा उभयपक्षों द्वारा कोई कार्यवाही नही चाहने से खारिज किये गये है तथा वर्तमान अपील में वर्णित रेस्पोडेंट संख्या 3 से 11 को पक्षकार ही नही बनाया गया है। यह न्यायालय पाता है कि अपीलांट व उसकी पुत्री एवं पत्नि द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.03.2014 में उनकी इच्छानुसार अनुतोष प्राप्त नहीं होने पर बाईपास रास्ता अपना कर नामांतरकरण निरस्ती की विषयवस्तु को हस्तगत अपील बनाकर वर्तमान अपील प्रस्तुत की है, जो यह प्रकट करता है कि अपीलांट द्वारा वांछित दाद हेतु बहुल वाद का रास्ता अपनाया जाकर अनुतोष चाहा जा रहा है, जो अनुचित है।

अपीलांट का द्वितीय उज्र यह है कि अपील में वर्णित उक्त भूमि के संबंध में न्यायालय सहायक कलक्टर, राजसमंद द्वारा स्थगन आदेश भी जारी कर रखा था, फिर भी विभाजन किया जाना कतई संभव नही था।

अपीलांट का यह उज्र विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है क्योंकि अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रकरण संख्या 273/2013 वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88–92 ए. राजस्थान टिनेंसी एक्त अनवान श्रीमती नानूबाई पत्नि भंवरलाल कुमावत व अन्य बनाम श्री भंवरलाल पिता देवा कुमावत व अन्य, प्रकरण संख्या 361/2013 प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेंसी एक्ट सपठित आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 एवं प्रकरण संख्या

121/2012 वाद–घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा 88, 92 राजस्थान टिनेंसी एक्ट के प्रकरणों की प्रतियों से प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरणों में किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश पारित नही किया है तथा अपीलांट द्वारा भी इस प्रकार के कोई तथ्य प्रमाणित नहीं करवाये हैं।

अपीलांट का तृतीय उज्र यह है कि उक्त प्रकरण में विभाजन भी राजस्व अधिकारियों ने रेस्पोडेंट संख्या 3 से 11 के मध्य मिलीभगत कर मनमकसूद तरीके से किया गया है, जिसमें अपीलांट की सहमति के बगैर उसकी बेजानकारी में फर्जी रूप से अपीलांट के हस्ताक्षर कर उक्त विभाजन कराया गया है।

अपीलांट का यह उज्र विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 3 से 11 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में ग्राम कांकरोली, पटवार हल्का कांकरोली, तहसील व जिला राजसमंद की वर्णित खाता संख्या 166 में अंकित आराजी संख्या 651 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, आराजी संख्या 652 रकबा 2 बिस्वा, आराजी संख्या 653 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा व आराजी संख्या 654 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा भूमि का आपसी सहमती बंटवाडा कराने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस पर अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 3 से 11 के हस्ताक्षर मौजूद है। उक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमंद द्वारा पटवार हल्का कांकरोली से मौके की जांच कर प्रस्ताव पेश करने हेतु लिया गया। पटवारी हल्का द्वारा विभाजन फहरिस्त नक्शा ट्रेस की 2–2 प्रतियां पेश की, जिन पर प्रार्थीगणों ने सहमति के हस्ताक्षर अंगुठा निशानी कर रखे है। तथा पक्षकारों द्वारा 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर सहमति विभाजन लिखा हुआ है। अभिलेख पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड जमाबंदी की प्रति अनुसार उक्त भूमि अपीलांट व रेस्पोडेंट के नाम पर शामलाती खाते में खातेदारी हक से दर्ज है। अतः उक्तानुसार उक्त विभाजन से अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 3

से 11 सहमत होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन किया जाकर नामांतरकरण संख्या 1928 दिनांक 19.03.2014 स्वीकृत किया गया, जो उचित होकर उक्त आदेश में किसी प्रकार की कोई त्रुटि परिलक्षित नही होता है।

उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति के दृष्टिगत यह न्यायालय पाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमंद, जिला राजसमंद द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विधिक एवं तथ्यात्मक परीक्षण किया जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसका यह न्यायालय समर्थन करना उचित समझता है। उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमंद, जिला राजसमंद का नामांतरकरण संख्या 1928 निर्णय दिनांक 19.03.2014 को यथावत रखा जाता है।

(सी. आर. देवासी)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(सी. आर. देवासी)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर